उदासीनता नतीजा.. तेंदुआ का नहीं हो पा रहा रेस्क्यू, चहलकदमी के बाद भी अभी तक नहीं पकड़ा जा सका

दरकार 20 की, रेस्क्यू करने का भार सिर्फ 4 कंधों पर

विवेक दुबे

नवभारत,जबलपुर। तेंदुआ नाम ही ऐसा है जिसे सुनकर और जिसकी मौजूदगी से कोई भी भयभीत हो जाए.... ऐसे में अगर ये कहीं दिखे तो सभी की सबसे पहले यही वन विभाग से अपेक्षा रहती है कि वह तेंदुआ का रेस्क्यू करे और सभी को राहत की सांस दे। लेकिन कहीं ऐसे में तेंदुओं का रेस्क्यू करने में रेस्क्यू टीम में कर्मचारियों की कमी की बात सामने आए तो बड़ी हैरानी वाली बात होगी।

जानकारी के अनुसार जबलपुर रेंज में तेंदुआ का रेस्क्यू करने वाली टीम में करीब 4 कर्मचारी ही है जो तेंदुआ देखे जाने की सूचना के बाद मौके पर रेस्क्यू करने पहुंचते हैं। जबकि दरकार करीब 15 से 20 कर्मचारियों की है। ये बात खुद वन विभाग के अधिकारी ने कही है जिसने आम आदमियों व फैक्टरी के अधिकारी-कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं कर्मचारियों का भी कहना रहता है कि इतने से कर्मचारी कहां कहां तेंदुआ का रेस्क्यू करने पहुंच जाए। अगर रेस्क्यू टीम में ज्यादा कर्मचारी होते तो विधिवत तरीके से तेंदुओं की मॉनीटरिंग की जा सकती है लेकिन अभी ये काफी मुश्किल नजर आ रहा है।

नाम न छापने की शर्त पर जबलपुर वन विभाग के एक अधिकारी ने नवभारत को बताया कि जबलपुर की पूरी रेंज में तेंदुआ के मूवमेंट को विधिवत निगरानी रखने के लिए रेस्क्यू टीम में 15 से 20 कर्मचारी तैनात होने चाहिए जिससे जिन इलाकों में तेंदुआ की मूवमेंट ज्यादा है वहां सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे पेट्रोलिंग व निगरानी की जा सके। ऐसा करने से तेंदुआ का रेस्क्यू विधिवत तरीके से किया जा सकता है। इसके साथ ही सुरक्षा गार्ड भी होने चाहिए जिसे डुमना चौकी क्षेत्र में तैनात किया जा सके। लेकिन मौजूदा हालातों की बात करें तो जबलपुर वन विभाग की तेंदुआ को पकड़ने वाली रेस्क्यू टीम में सिर्फ 4 कर्मचारी हैं जो कि जबलपुर की पूरी रेंज में तेंदुआ के रेस्क्यू के लिए नाकाफी साबित होते नजर आ रहे हैं। इस बात की खुद पुष्टि रेंजर व रेस्क्यू प्रभारी अपूर्व शर्मा ने करते हुए नवभारत से कहा कि तेंदुआ के रेस्क्यू टीम में कर्मचारियों की कमी है जिस कारण अधिकांश मामलों में तेंदुआ का रेस्क्यू करने में आज तक सफलता नहीं मिली है।

ओएफके की दीवार के ऊपर देखा गया तेंदुआ

आयुध निर्माणी (ऑर्डिनेंस फैक्ट्री) और जीआईएफ की दीवार के ऊपर देर रात तेंदुआ को वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने देखा जिसके बाद वन अमले को तत्काल इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और तेंदुए के मूवमेंट की पतासाजी में जुट गई। आशंका जताई जा रही है कि यह तेंदुआ गन कैरेज फैक्ट्री (जीसीएफ) के घने जंगलों से भटक कर यहां पहुंचा है। एहतियात के तौर पर ऑर्डनेंस फैक्ट्री से सटी बगल की वाहन निर्माणी (वीएफजे) में भी अलर्ट जारी कर सतर्कता बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

फैक्टरी प्रबंधन को भी ये करना चाहिए....

रेंजर अपूर्व शर्मा ने स्पष्ट कहा कि आर्डिनेंस फैक्टरी प्रबंधन को कर्मचारियों की सुरक्षा के लिहाज से दीवारों को दुरूस्त करना चाहिए जिससे इन दीवारों में तेंदुआ चढ़ न सके। इसके साथ ही फैक्टरी की दीवारों से सटे पेड़ों को कटवाया जाए। उधर वन विभाग की टीम भी गश्ती फैक्टरी परिसर में कर रही है।

पहले भी दिख चुकी है सक्रियता

गौरतलब है कि जबलपुर के खमरिया आयुध निर्माणी और उसके आसपास के रिहायशी इलाकों में तेंदुओं की सक्रियता पहले भी देखी जा चुकी है। इससे पहले दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में भी सारणी क्वार्टर्स में एक वयस्क तेंदुआ बाउंड्री गेट फांदकर रिहायशी इलाके में घुस आया था। वह तेंदुआ फैक्ट्री कर्मचारी राजू मीणा के घर में दाखिल हुआ था, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। इसके अलावा पूर्व में फैक्ट्री के संवेदनशील एफ-6 सेक्शन में भी तेंदुआ देखा जा चुका है। खमरिया और जीसीएफ के जंगली इलाकों से घिरे होने के कारण इस क्षेत्र में लगातार तेंदुओं की धमक से सुरक्षाकर्मियों और यहां रहने वाले परिवारों में दहशत का माहौल है।

दो कौड़ी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर बिफरी कांग्रेस

मुख्यमंत्री के अमर्यादित बयान के खिलाफ बढ़ता जा रहा आक्रोश

सीएम का बयान पूरी तरह गरिमाहीन : राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा

नवभारत,जबलपुर। मध्यप्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से सियासी माहौल गरमा गया है। अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के संदर्भ में की गई कथित अमर्यादित बयानबाजी को लेकर कांग्रेस में भारी आक्रोश है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सदस्य विवेक कृष्ण तन्खा खुलकर जीतू पटवारी के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस आचरण को पूरी तरह से गरिमाहीन और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए विरोध जताया है। वरिष्ठ राजनेता विवेक तन्खा ने जबलपुर में अपनी बात रखते हुए स्पष्ट किया कि सार्वजनिक जीवन और उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे शीर्ष नेतृत्व को अपनी भाषा की मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पक्ष और विपक्ष के बीच वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है और यह लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन संवाद का स्तर कभी नहीं गिरना चाहिए। विपक्ष के शीर्ष नेता के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं के बिल्कुल विपरीत है।

ये कहा था सीएम ने...

हाल ही में जो मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक कार्यक्रम के दौरान मंच से सीएम डॉ. मोहन यादव ने हिा कि जब देश में संकट आए तो नेता प्रतिपक्ष भाग जाए, जब जब प्रदेश में विकास की बयार चले तो दो कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय रे हाय करता फिरे, अरे शर्म आना चाहिए, आजादी के बाद कांग्रेस में ऐसा रद्दी प्रदेश अध्यक्ष नहीं देखा गया। मंच से सीएम ने ये भी कहा कि कांग्रेस को कोई मिलता ही नहीं है कांग्रेस को वो मिलता है जो 40 हजार वोट से हारा हुआ हो।

समाज और युवा पीढ़ी पर पड़ रहा गलत असर

राज्य सभा सांसद विवेक तन्खा ने प्रतिक्रिया देते हुए ये भी कहा कि देश और प्रदेश के जिम्मेदार नेताओं से जनता हमेशा अच्छे और आदर्श आचरण की उम्मीद करती है। जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग ही अमर्यादित शब्दों का चयन करने लगेंगे, तो इसका समाज और हमारी युवा पीढ़ी पर बहुत ही गलत और नकारात्मक असर पड़ता है। सार्वजनिक मंचों से दिया गया हर एक बयान सीधे जनता तक पहुंचता है, इसलिए नेताओं को अपनी बात रखते समय शालीनता और गरिमा बनाए रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री जैसे गरिमापूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के मुख से इस तरह के अशोभनीय शब्द शोभा नहीं देते। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल के नेताओं में मुख्यमंत्री के प्रति भारी नाराजगी और आक्रोश देखा जा रहा है।

सीजे संजीव सचदेवा व जस्टिस शील नागू सहित पांच जजों की नियुक्ति को मंजूरी

सुकों कालेजियम की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार की मुहर

जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट में मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस शील नागू सहित पांच जजों की नियुक्ति को केंद्र सरकार मंजूरी मिल गई है। शपथ ग्रहण इसी सप्ताह होगा।

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जबलपुर में वकालत करते हुए हाईकोर्ट जज बने, फिर दूसरे हाईकोर्ट स्थांतरित होकर सीजे बने शील नागू के नामों की पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने अनुशंसा की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना का नाम सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में मंजूर किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट जज बनने वाली भारत की दूसरी महिला विधिवेत्ता हैं। दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 की गई थी। इसके बाद हुई पांच नई नियुक्तियों से सुप्रीम कोर्ट में जजों के कुल 37 पद भर चुके हैं और महज एक पद रिक्त रह गया है। कोर्ट की बढ़ी हुई क्षमता से लंबित मामलों के निपटारे में बड़ी तेजी आने की आशा है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने पिछले हफ्ते ही इन नामों की सिफारिश भेजी थी, जिसे केंद्र ने तेजी से मंजूरी दी है। जस्टिस शील नागू मुख्य न्यायाधीश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट हैं। जस्टिस चंद्रशेखर मुख्य न्यायाधीश बॉम्बे हाईकोर्ट हैं। जस्टिस संजीव सचदेवा मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट हैं। जस्टिस अरुण पल्लीरू मुख्य न्यायाधीश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट हैं ।

एनजीटी ने कठौंदा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट को लेकर मांगी विस्तृत रिपोर्ट

नगर निगमए जबलपुर को निर्देश अगली सुनवाई 13 जुलाई को

जबलपुर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, एनजीटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव व विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने कठौंदा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट को लेकर नगर निगम जबलपुर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। एनजीटी ने प्लांट के संचालन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व पर्यावरणीय अनुपालन की मानीटरिंग की व्यवस्था दी है। नगर आयुक्त ने अपने जवाब में कहा है कि वे इस तथ्य का सत्यापन करेंगे कि क्या उत्तराखंड के रुद्रपुर से कोई अपशिष्ट कठौंदा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट में उपचार हेतु भेजा गया था। नगर निगम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कई पहलें प्रगति पर होने के कारण एनजीटी ने निर्देश दिया कि इन कार्यों की अद्यतन स्थिति सहित विस्तृत प्रगति रिपोर्ट अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रस्तुत की जाए। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है।

दरअसल, यह मामला कठौंदा क्षेत्र में कचरा जलने के बाद धूल और प्रदूषण के व्यापक प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित किए जाने वाले समाचारों पर संज्ञान के

आधार पर सुनवाई में लिया गया है। सुनवाई के दौरान नगर निगम ने अवगत कराया कि कठौंदा स्थित वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट वर्ष 2016 से संचालित है। इसका संचालन जबलपुर एमएसडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 तक प्लांट में व्यापक ओवरहालिंग कार्य किया गया था। जिसके बाद जनवरी 2026 में इसे पुनः संचालित कर दिया गया। प्लांट के बंद रहने की अवधि में एकत्रित लगभग 38,138 टन ठोस अपशिष्ट को पुनः चालू होने के बाद प्रसंस्कृत किया गया है। नगर निगम के पास घर-घर कचरा संग्रहण के लिए 403 वाहन उपलब्ध हैं, जिनमें जैविक व अजैविक कचरे के पृथक संग्रहण की व्यवस्था है।

कचरा पृथक्करण को बढ़ावा देने के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। जैविक कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु 100 टन प्रतिदिन क्षमता का बायो.सीएनजी प्लांट प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त, वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट में उच्च ऊष्मीय क्षमता वाले अपशिष्ट के पृथक्करण हेतु नई प्री-प्रोसेसिंग प्रणाली भी स्थापित की गई है। कठौंदा व रानीताल स्थित पुराने कचरा डंप स्थलों के संबंध में नगर निगम ने दावा किया कि दोनों स्थलों का बायो-रिमेडिएशन कार्य पूरा कर लिया गया है। कठौंदा स्थल से प्राप्त आरडीएफ का उपयोग वर्तमान में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट में ईंधन के रूप में किया जा रहा है। स्थल के चारों ओर आवश्यक बफर जोन बनाए रखा गया है व पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधारोपण और पार्क विकास की योजना पर कार्य किया जा रहा है।

दो दिन में दो माह के वेतन भुगतान का आश्वासन

मांगें पूरी नहीं होने पर दी अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी

संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों का मामला

नवभारत, जबलपुर। तीन माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी सोमवार को हड़ताल पर बैठ गए। आक्रोशित कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से वेतन भुगतान में हो रही देरी के कारण उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई, घरेलू खर्च और दैनिक जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है।

हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। इस बीच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ नवीन कोठारी ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया की दो माह का लंबित वेतन आगामी दो दिनों के भीतर जारी कराने का प्रयास किया जा रहा है। आक्रोशित कर्मचारियों को वेतन भुगतान और एरियर्स से संबंधी अनेक समस्याओं को शीघ्र हल करने का भरोसा दिलाया गया।

आक्रोशित कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पहले भी कई बार आश्वासन मिल चुके हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। इसलिए वे केवल आश्वासन के आधार पर आंदोलन समाप्त करने के पक्ष में नहीं हैं। कर्मचारियों ने स्पष्ट तौर पर कह है कि यदि तय समय सीमा में वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे।

संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आक्रोशित कर्मचारियों ने बताया कि वेतन के अलावा नियुक्ति आदेश, एरियर, अनुभव प्रमाण-पत्र तथा ईपीएफ-ईएसआईसी से जुड़े मामलों का भी निराकरण लंबित है। कर्मचारियों ने इन सभी मुद्दों के शीघ्र समाधान न होने पर अनिश्चत कालीन हड़ताल पर जाने चेतावनी दी

जायज़ हैं कर्मचारियों की मांग : कांग्रेस नेता

हड़ताल के समर्थन में पहुंचेवरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने भी कर्मचारियों की मांगों को जायज बताते हुए प्रशासन से तत्काल वेतन भुगतान कराने और लंबित समस्याओं का निराकरण करने की मांग की।

इनका कहना है

उच्चाधिकारियों के आश्वासन के बाद हम सभी कर्मचारी कल से काम पर जरूर जाएंगे लेकिन यदि तय समय सीमा में भुकतान नहीं हुआ तो पुन: आंदोलन की राह थामेंगे। आक्रोशित कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।

दीपक कुमार
जिला अध्यक्ष
म प्र संविदा आउट सोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ

एससीएस कंपनी के ठेकेदार पर शिकंजा कसते ही ढीले पड़े तेवर

समझौते की कोशिश ने पकड़ा जोर

नवभारत जबलपुर। हाल ही में रेलवे ठेकेदार द्वारा सफ़ाई कर्मचारियों की आधी तनख्वाह एटीएम से निकाल लिए जाने का मामला प्रकाश में आने के बाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। बता दे कि शिकायत के बाद से ही पीड़ित कर्मचारी के पास ठेकेदार के पक्ष से फोन आना शुरू हो गए थे। जिसमें ठेकेदार द्वारा कर्मचारी को थाने बुलाकर समझौते का प्रस्ताव दिए जाने की जानकारी भी सामने आई थी। गौरतलब है कि पीड़ित सफाई कर्मचारी चन्दन बाल्मीकि द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य सहित विभिन्न विभागों में शिकायत किए जाने के बाद मामले में प्रशासनिक और विभागीय स्तर पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी बीच एससीएस कंपनी ठेकेदार संदीप सेन ने पीड़ित कर्मचारी को थाने बुलाकर समझौते का प्रस्ताव दिए जाने की कोशिश किए जाने की बात सामने आई है।

एक्शन मोड में श्रम विभाग

उधर शिकायत के बाद से ही एक्शन मोड़ में आए श्रम विभाग ने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। बता दे कि शोषण से जुड़े इस पूरे मामले को रेलवे प्रशासन ने भी गंभीरता से लेते हुए संबंधित ठेकेदार से स्पष्टीकरण मांगा है। शोषण से जुड़े इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए अनुसूचित मोर्चा के जिला महामंत्री आकाश मलिक ने बताया कि शिकायत के बाद से ही ठेकेदार पक्ष की ओर से उस पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में उसे थाने बुलाकर मामला खत्म करने का प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन पीड़ित कर्मचारी ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई है।

आज श्रम विभाग जाएंगे पीड़ित कर्मचारी

सूत्रो से मिली जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला महामंत्री ने बताया कि पीड़ित कर्मचारी के साथ ही ठेकेदार द्वारा शोषण के शिकार हुए अन्य कर्मचारी भी लेबर ऑफिस पहुँचकर अपनी शिकायत दर्ज कराएँगे।जानकारों की माने तो शोषण से जुड़े इस पूरे मामले की जाँच के बाद एससीएस कंपनी का ठेकेदार संदीप सेन का ठेका निरस्त कर उसे ब्लैक लिस्ट किए जाने की माँग की जा रही है।

भवन निर्माण
भवन निर्माण 1500/- वर्गफुट कंस्ट्रक्शन
मॉड्यूलर किचन, लेटबाथ, स्टील रेलिंग, बिजली, पानी, मटेरियल सहित कम्पलीट वर्क
संपर्क- कमलेश पटेल, मोबाइल 6260334877

Mr. Solar
महाकौशल का सबसे भरोसेमंद
कोई झूठा वादा नहीं, सिर्फ सच
सोलर पार्टनर
• कम बिजली बनने पर क्षतिपूर्ति हम करेंगे • विक्रय पश्चात सर्वोत्तम वाशिंग एवं मेंटेनेंस सर्विस
• सबसे तेज सब्सिडी प्रोसेसिंग • सर्टिफाइड प्रोडक्ट
Office : Pls call us on 6267100743, 9644555001
Mr. Solar & Co- 402, 4th Floor, Kaushalya Vihar Apartment, Near Bhanwartal Garden, Napier Town, Jabalpur

होली लाईट चिल्ड्रन्स ऐकेडमी हॉयर सेकेण्डरी स्कूल
Holy Light Children's Academy Higher Secondary School
प्रवेश प्रारम्भ
शासन द्वारा मान्यता प्राप्त (नर्सरी से बारहवीं तक) हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम
नोट- गरीबी रेखा कार्ड धारकों को फीस में विशेष सुविधा
अभिभावकों को मोबाईल एप द्वारा विद्यालय की समस्त जानकारी लाईव
अनुभवी शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा अध्यापन स्वस्थ शिक्षा वातावरण
खेलकूद के लिये मैदान व शाला भवन की स्थाई ईमारत
विशिष्ट शिक्षण विधियों द्वारा अध्यापन, नैतिक/पारम्परिक संस्कारों से सुसज्जित शिक्षा
पेंटिंग, ड्राईंग, योग कक्षा, जूडों का विशेष प्रशिक्षण, कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था
पिकनिक, आनंद मेला, वार्षिकोत्सव व क्राफ्ट प्रदर्शनी का प्रत्येक वर्ष आयोजन
फेल विद्यार्थी निराश न हो दसवीं, बारहवीं गारण्टी से पास
सभी BA,B.Com., B.Sc.,LLB, B.Ed, M.Ed. हेतु संपर्क करें
Jai Prakash Nagar, Adhartal, Jabalpur (MP) 482004 Mob: 9301646302, 9407059444

GREEN VALLEY PUBLIC SCHOOL
A Residential & Day Boarding School
NURSERY TO CLASS 12th
ADMISSIONS OPEN 2026-27
BIG DREAMS NEED A BIG START
GVPS SHAPE THE LEADERS OF TOMORROW WITH FUTURE-READY FACILITIES
KEY FEATURES
Affiliated to CBSE, Bus Facility, Air Cooled Hostel, Atal Tinkering Lab, Separate Hostel for Girls & Boys, Safe Campus
Large Playground, Healthy Environment, Greenery in Abundance, State of Art Classrooms, Digital Classrooms, CCTV Surveillance
For more Information
9300154300, 9300119919
Raigwan, Next to Bharat Petroleum, Patan Road, Jabalpur

LEONARD H.S.SCHOOL
(Recognised by Govt of M.P.)
Classes : Nursery to 12th
Come and join us
ADMISSION OPEN
Informatics Practices/Maths Science/Commerce/Arts Groups
The School is located in a Peaceful and eco friendly atmosphere.
Emphasis is given on Spoken English in all the classes.
Sports and Cultural activities are held on a regular basis.
Excellent Board Results Year after Year.
53, Denning Road, Behind Civil Line Police Station Jabalpur (MP)
Phone : 0761-4030678, 9425387092, 7999910499

नवरात्रि एवं ईद पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं
JYOTI INNER ZONE
10% से 15% तक की भारी छूट
LUX cozi INNER WEAR | AMUL MACHO | JOCKEY | RUPA | DIXCY SCOTT
1222, Main Road Ganjipura, Near Super Market, Jabalpur (MP) 0761- 4038008

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57